संख्या-29/2017/84/71-1-2017-जी-66/2015

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 फरवरी, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु अनुदान संख्या-31 में उपकरण मद में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2017/682, दिनॉक 09-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय संस्थानों (हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर) हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपकरणों हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 94,66,09,000/- को आहरित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रखने की अनुमति शासनादेश संख्या-700/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2015 द्वारा प्रदान की गयी थी।

3- अन्तिम बार उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-202/2016/2546/71-1-2016-जी-66/ 2015, दिनॉक 30-11-2016 द्वारा दिनॉक 31-12-2016 तक बढ़ायी गई थी।

4- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 94,66,09,000.00 में से संलग्न तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार रू0 71,50,59,389.69 का आहरण कर लिया गया है एवं उक्त आहरण के उपरान्त रू0 23,15,49,609.83 की धनराशि अवशेष है।

5- आपके उक्त पत्र दिनॉक 09-01-2017 में वर्णित स्थिति के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश दिनॉक 31-03-2015 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 23,15,49,609.83 की उपयोगिता अवधि दिनॉक 01-01-2017 से 30-06-2017 तक विस्तारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। शासनादेश दिनॉक 31-03-2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-174/दस-2017, दिनॉक 14 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किए जा रहे है।

**संलग्नक--यथोक्त।**

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्याः- 29/2017/84(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झॉसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर, बॉदा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रोफेसर-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( जयवीर सिंह )
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।